भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 736

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2023

सिर पर मैला ढोने का कार्य करने वाले लोग

736. श्री पी. रविन्द्रनाथ:
श्री फिरोज़ वरूण गांधी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सिर पर मैला ढोने के कार्य में लगे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में सिर पर मैला ढोने के नियोक्ताओं के विरूद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मैला ढोने वालों के पुनर्वास/शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निधियों के आवंटन तत्पश्चात् 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, को लागू करने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान ऐसी निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): इस समय देश में लोगों के मैनुअल स्केवेंजिंग का कार्य करने की कोई सूचना नहीं है।

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" की धारा 2(1)(छ) की परिभाषा के अनुसार मैनुअल स्केवेंजिंग दिनांक 06.12.2013 से निषिद्ध है। कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त तारीख से मैनुअल स्केवेंजिंग के लिए नियोजित नहीं कर सकता।

(ख): राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की तरफ से नियोक्ता के विरूद्ध पंजीकृत किए गए किसी भी मामले के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार स्कीम (एसआरएमएस) के तहत निम्नलिखित पुनर्वास लाभ उपलब्ध कराए गए हैं:-

क. सभी 58098 चिन्हित और पात्र मैनुअल स्कैवेंजरों को 40,000 रूपए प्रति परिवार एकबारगी नगद सहायता उपलब्ध कराई गई है।

ख. वैकल्पिक स्व-रोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 2313 चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को 5,00,000/- रूपए तक की पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।

ग. चिन्हित किए गए 22294 मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 3,000/- रूपए प्रति माह की दर से वजीफा देकर उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र तथा टिकाऊ रोजगार के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

घ. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत सभी चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजरों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है।

एसआरएमएस एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है और इसमें निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं होता है। "मशीनी सफाई इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" (नमस्ते) स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधियां
2020-21	30.00
2021-22	43.31
2022-23	70
2023-24	97.41

(घ): मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार स्कीम (एसआरएमएस) के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 2019-20 में किए गए मूल्यांकन अध्ययन ने स्कीम के सफल कार्यान्वयन की सूचना दी है।

*****